न्यायालय डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 175/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
वागाराम पुत्र ओटाराम सरगड़ा निवासी–रामपुरा, तहसील व जिला सिरोही		1. गेरीदेवी पुत्री ओटाराम सरगड़ा निवासी–रामपुरा, हाल जावाल, तहसील व जिला सिरोही 2. पंकुदेवी पुत्री ओटाराम सरगड़ा निवासी–रामपुरा, हाल हीरागरवास मामावली, तहसील व जिला सिरोही 3. धापुदेवी पुत्री ओटाराम सरगड़ा निवासी–रामपुरा, हाल खाम्बल, तहसील व जिला सिरोही 4. सीतादेवी पुत्री ओटाराम सरगड़ा निवासी–रामपुरा, हाल डोडुआ, तहसील व जिला सिरोही 5. जमनादेवी पुत्री ओटाराम सरगड़ा निवासी–रामपुरा, हाल बरलुट, तहसील व जिला सिरोही 6. ग्राम पंचायत रामपुरा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा, तह0 सिरोही 7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सिरोही दिनांक 25.06.2018 म्यूटेशन अपील संख्या 04/2017 अनवान गेरीदेवी व अन्य बनाम सरपंच ग्रा0पं0 रामपुरा वगैरा

उपस्थित–

1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलाण्ट
2. श्री गोपाल मेघवाल, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 व 7

निर्णय

दिनांक 30.12.2022

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा ना0क0 अपील संख्या 04/2017 गेरीदेवी व अन्य वगैरा बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत रामपुरा वगैरा में न्याय आपके

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

द्वार अभियान, 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत–अटल सेवा केन्द्र रामपुरा में पारित आदेश दिनांक 25.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरा, तहसील सिरोही के नामान्तरकरण संख्या 467 में उल्लेखित खसरान–किता. 12 की भूमि ओटा वल्द चेला सरगड़ा साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जो खातेदर ओटा के फौत होने पर मंछाराम व वागाराम पिसरान ओटाराम के नाम दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा उक्त ना0क0 दिनांक 02.06.2000 को स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1 से 5–अपीलांट्स द्वारा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही के न्यायालय में दर्ज राजस्व प्रथम अपील संख्या 04/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2018 के द्वारा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन ना0क0संख्या 467 स्वीकृत दिनांक 02.06.2000 को निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार सिरोही को उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देते हुए विधिवत ना0क0 पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी सिरोही के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

4. बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी। जो वर्ष 2000 में स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध अत्यधिक विलंब से वर्ष 2017 में प्रस्तुत की गई थी व इतनी अधिक विलंब की अवधि को क्षमा करने हेतु कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया। रेस्पो0सं0 1–5 को ना0क0 जैर की जानकारी प्रारंभ से ही थी, अतः उसे अपील

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही था। उनके द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 के प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किए गये, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आधार मानकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर दिया गया।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी सिरोही के न्यायालय में विचाराधीन थी, जिसे अकस्मात कैम्प कोर्ट में ले जाया जाकर वर्तमान अपीलांट की सुनवाई के बिना ही निर्णित कर दिया गया, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से परे है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

5. जवाब में रेस्पो0 सं0 1 से 5 के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि ना0क0सं0 467 में दर्ज भूमि खातेदर ओटा की पुश्तैनी भूमि थी। जिसका फौतेदगी ना0क0 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक खातेदार के सभी जीवित व जायज वारिसान के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, जबकि सरपंच ग्रा0पं0 रामपुरा द्वारा उक्त ना0क0 मृतक खातेदार ओटा के पुत्र मंछाराम व वागाराम के ही नाम स्वीकृत किया गया। जो विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील का गुणावगुण पर परीक्षण कर अपीलाधीन जैर ना0क0 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सिरोही को नियमानुसार कार्यवाही कर, नये सिरे से विधिसम्मत ना0क0 पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, जो विधि अनुकूल है। मंछाराम लाऔलाद फौत हो गया। इसके अलावा उक्त आदेश राज्य सरकार के निर्देशानुसार संचालि 'न्याय आपके द्वार अभियान, 2018' के तहत राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपील अपीलांट खारीज कर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखने का निवेदन किया गया।

6. रेस्पो सं0 6 व 7 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया गया।

7 उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

पाया जाता है कि ग्राम रामपुरा, तहसील सिरोही के नामान्तरकरण संख्या 467 में दर्ज उल्लेखित खसरान–किता. 12 की भूमि के खातेदार ओटा वल्द चेला सरगड़ा का फौतेदगी ना0क0 सरपंच ग्रा0पं0 रामपुरा द्वारा दिनांक 02.06.2000 को मंछाराम व वागाराम पिसरान ओटाराम के नाम स्वीकृत किया गया। जिसमें रेस्पो0 सं0 1 से 5 जो कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक खातेदार ओटा की प्रथम श्रेणी की वारिसान थी, उन्हें अपने हक व अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 में कोई भूल नही की गई है।

अपीलांट का प्राथमिक कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारीज योग्य थी, तो इस संबंध में मा0 उच्च/उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक दृष्टातों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां अपील गुणावगुण पर सारवान व ग्राह्य योग्य पायी जावे, वहां मियाद के बिन्दु को गौण समझा जावे। द्वितीय, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में प्रकरण की सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान को जारी नोटिस अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में मौजूद है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

30/12/2022

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर